

प्रेस-विज्ञप्तिथाना रौनापारकुल्हाडी से मारकर बहन की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तारपूर्व की घटना –

दिनांक 28.05.2023 को आवेदक रामकुंवर यादव S/O त्रिलोकी ग्राम रामनगर कुकरौछी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि मेरे लडके प्रमोद यादव ने मेरी लडकी को अपरचित व्यक्ति से बात करने व उसके बारे में पुछने के विवाद को लेकर लडकी के सिर पर कुल्हाडी से मार दिया जिससे मौके पर ही मेरी लडकी की मृत्यु हो गयी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 163/23 धारा 302 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 28.05.2023 को थानाध्यक्ष रौनापार राम प्रसाद बिन्द मय हमराह व उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह द्वारा मुकमदा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रमोद यादव पुत्र राम कुंवर यादव ग्राम रामनगर कुकरौछी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को बघावर तिराहे से समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 163/2023 धारा 302 भा.द.वि. थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 163/2023 धारा 302 भा.द.वि. थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रमोद यादव पुत्र राम कुंवर यादव ग्राम रामनगर कुकरौछी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 आला कत्ल घटना में प्रयुक्त कुल्हाडी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष राम प्रसाद बिन्द थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 2.उ0नि0 उमाशंकर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 3.का0 अमन पासवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 4.का0 जितेन्द्र प्रसाद यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
5. म0का0 सावित्री चौधरी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना महाराजगंज

जनपद स्तर चोरी करने वाला गैंगस्टर एक्ट में वांछित सक्रिय गैंग का सदस्य व गिरफ्तार

पूर्व की घटना –

महाराजगंज थानाक्षेत्र के ग्राम मनोगा का पुरा व आस पास के लोगो तथा थाना स्थानीय के अभिलेखीय अवलोकन से ज्ञात हुआ कि गैंग लीडर गुलशन उर्फ आकाश यादव पुत्र देवमन यादव निवासी मनोगा का पुरा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष ने अपने सह अभियुक्तो 1. गोविन्द यादव पुत्र गोरख यादव निवासी मनोगा का पुरा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष 2. मोतीचन्द यादव पुत्र रामनयन यादव निवासी भगवानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष 3. सोनू यादव पुत्र बलिहारी यादव निवासी भगवानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष 4. हरिवंश निषाद पुत्र रामजीत निषाद निवासी मांझा कम्हरिया थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 25 वर्ष के साथ मिलकर 01 संगठित अपराधिक गिरोह बनाकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए योजना बनाकर चोरी व धोखाधडी जैसे अपराध कारित कर 01 सक्रिय गैंग है।

➡ इस गिरोह के द्वारा दिनांक 05.06.2018 को महाराजगंज थाना क्षेत्र के भैरो बाबा मन्दिर के पास से 01 मोटर साइकिल चोरी किया था। जिसमें वादी मुकदमा अशोक कुमार यादव पुत्र खदेरन यादव निवासी पटखौली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 121/18 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

➡ इस गिरोह द्वारा दिनांक 09.04.2018 को शुक्ला भवन थाना रौनापार से 02 दुकानो से 02 कम्प्युटर, 02 लैपटाप, प्रिन्टिंग मशीन, 08 मोबाइल, 17000 रुपया, 3000 का रिचार्ज कूपन तथा 35 सेट मोबाइल चोरी किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 74/18 धारा 457/380 भादवि विरुद्ध अज्ञात के पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

➡ दिनांक 28.05.2018 को ब्रह्मस्थान थाना क्षेत्र रौनापार अन्तर्गत भीमवर से स्प्लेण्डर प्लस मोटर साइकिल चोरी किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 117/18 धारा 379 भादवि विरुद्ध अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 19.06.2018 को थाना क्षेत्र रौनापार के महुला गढवल रोड हैदराबाद बार्डर से 05 मोटर साइकिल चोरी की गयी। जिसमें मोटर साइकिल के पार्ट्स व 04 मोबाइल के साथ गैंग लीडर गुलशन उर्फ आकाश यादव तथा सदस्यो गोविन्द यादव, मोतीचन्द यादव, सोनू यादव व हरिवंश निषाद को गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 139/18 धारा 41/411/413/414/467/468/471 भादवि पंजीकृत कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। तथा उपरोक्त मुकदमों में अभियुक्तो के नाम प्रकाश में आने पर इनके विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किये गये।

➡ उपरोक्त गिरोह द्वारा अपराधिक कृत्यो द्वारा आर्थिक, भौतिक दुनियावी लाभ पाने के लिए अपराध करके लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न कर सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त किया जाता है। इस गिरोह की सक्रियता जनपद स्तर पर है। गिरोह के भय व दहशत के कारण कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने या गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पाता है। जिसका समाज में स्वच्छन्द रूप से विचरण करना जनहित में ठीक नहीं है। अतः इनकी गतविधियों पर अंकुश लगाया जाना अतिआवश्यक है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक 05.05.2023 को श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट व थानाध्यक्ष महाराजगंज के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 153/23/22 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 थाना महाराजगंज आजमगढ़ बनाम 1- गुलशन उर्फ आकाश यादव पुत्र देवमन यादव निवासी मनोगा का पुरा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष (गैंग लीडर) 2. गोविन्द यादव पुत्र गोरख यादव निवासी मनोगा का पुरा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष 3. मोतीचन्द यादव पुत्र रामनयन यादव निवासी भगवानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष 4. सोनू यादव पुत्र बलिहारी यादव निवासी भगवानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष 5. हरिवंश निषाद पुत्र रामजीत निषाद निवासी मांझा कम्हरिया थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 25 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 28.05.23 को थानाध्यक्ष महाराजगंज मय हमराह को सूचना प्राप्त हुयी कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गोविन्द यादव पुत्र गोरख यादव सा0 मनोगा का पुरा त्रिपुरारपुर आईमा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ जो कहीं जाने की फिराक में कटान बाजार में खड़ा है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मय हमराह कटान बाजार पहुचे जहां से कुछ दूर पहले सड़क के

किनारे खड़े व्यक्ति की ओर इशारा कर मुखबीर मौके से हट बढ गया। जिसे पुलिस पकडने का प्रयास किया तो अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा परन्तु मौके पर उपस्थित पुलिस बल द्वारा समय करीब 11:15 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 153/23/22 धारा धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986
थाना महाराजगंज आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

गोविन्द यादव पुत्र गोरख यादव ग्राम मनोगा का पुरा त्रिपुरारपुर आईमा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	74/2018	457/380/411 भादवि	रौनापार	आजमगढ़
2.	117/2018	379 भादवि	महाराजगंज	आजमगढ़
3.	121/2018	379/411 भादवि	महाराजगंज	आजमगढ़
4.	139/2018	41/411/413/414/467/468/471 भादवि	रौनापार	आजमगढ़
5.	153/23 3(1)	यूपी गैंगेस्टर एक्ट	महाराजगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

गोविन्द यादव पुत्र गोरख यादव ग्राम मनोगा का पुरा त्रिपुरारपुर आईमा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

का0 शनि अहमद

का0 रविकान्त

म0का0 स्वाति दीक्षित

थाना मेहनाजपुर

चोरी के अपराध में प्रकाश में आया 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:- दिनांक 22.04.2023 को आवेदक काशीनाथ पुत्र भोला निवासी गंगवल थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरिर दिया गया था कि सिधौना बाजार मे आवेदक का टेन्ट हाउस व अन्डे कि दुकान है जिसमें दिनांक 20/4/23 की रात्री मे अज्ञात चोरो द्वारा दुकान से लगभग 5000 हजार रुपये व 01 छोटा सिलिन्डर चोरी कर लिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0सं0 82/23 धारा 380 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण :- आज दिनांक 28.05.23 को उ0नि0 श्यामबद यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्राकश में आये अभियुक्त मन्टू राजभर पुत्र मनोज राजभर निवासी बरवा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को कूबा इण्टर कालेज के पास से समय करीब 12:10 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 खाली सिलेण्डर व 480 रुपये नगद बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 82/23 धारा 380,457,411 भा0द0वि0

गिरफ्तार अभियुक्त-

मन्टू राजभर पुत्र मनोज राजभर निवासी बरवा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

01 खाली सिलेण्डर

480 रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्यामबदन यादव थाना मेहनाजपुर ,आजमगढ़
2. हे0का0 उमाशंकर पटेल थाना मेहनाजपुर , आजमगढ़
3. का0 अवदेश यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़